में

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म को तामील में जारी हुए
	राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 20/2014 मांगीलाल वगैरा बनाम भीयाराम वगैरा अन्तर्गत धारा 251 अ आरटीएक्ट	
14.05.2018	पत्रावली आज कैम्प कोर्ट फींच में पेश हुई। उपस्थित फेरीकोन को सुना गया पत्रावली वास्ते गुणावगुण पर आदेश हेतु कैम्प कोर्ट सरेचा में दिनांक 06.06.2018 को पेश हों।	
06.06.2018	पत्रावली आज कैम्प कोर्ट सरेचा में पेश हुई। पत्रावली में गुणावगुण पर निर्णय निम्नानुसार है। कि प्रार्थीगण मांगीलाल पुत्र रूपाराम वगैरा(15) विरूद्ध अप्रार्थीगण भीयाराम पुत्र गणेशाराम वगैरा(32) ने यह प्रार्थना पत्र राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251 अ के तहत प्रस्तुत किया कि जोत मे जाने का मार्ग, वैकलिप्क मार्ग उपलब्ध नही होने के कारण नए मार्ग (परम्परागत मार्ग पुनः बहाल) निकालने बाबत। पेश किया जिसमें अप्रार्थीगण 19 से 31 का जवाब व 8 व 16 ने जवाब पेश किये पत्रावली पर अप्रार्थीगण की तामील की नोटिस दिनांक 21.4.2014 पेश है प्रस्तुत मामले में तहसीलदार लूणी से जवाब लिया गया और तहसीलदार लूणी प्रस्ताव मौका रिपोर्ट तथा नक्शे मे लाल स्याही से (डॉटेड लाईन) भाग को प्रस्तावित रास्ते के लिए बताया है रिपोर्ट को ध्यान में रखते हुए प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र इस प्रकार से स्वीकार करने योग्य है कि हमीरनगर के खसरा न 385, 372, 375, 379, 378, 376, 377, 368, 367, 369 मौके पर वर्णित खसरो के बीच की मेड़ के सहारे सहारे एक पुराना व परम्परागत रास्ता चल रहा है जो मौके पर खसरा न 385 व 372 के बीच चल रहा रास्ता बन्द किया हुआ है प्रार्थीगणों द्वारा चाहा गया रास्ता खसरा न 320 किस्म गै मु गोचर भूमि से ग्राम हमीरनगर की अंतिम सीमा खसरा न 369 के पश्चिमी मेड अर्थात ग्राम रोहिचाकला की सरहद तक रास्ते की चौडाई चार गटठा निम्नानुसार है तथा खसरा वाद रास्ते हेतू खातेदारों का निम्न रकबे अनुसार भूमि रास्ते के लिए उपयोग में आएगी। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251 अ के तहत प्रदत शक्तियों का उपयोग करते हुए तहसीलदार लूणी को निर्देशित किया जाता है कि रास्ते का अंकन लाल स्याही से किया जायेगा निजी खातेदारी की भूमि में से चालू स्थायी सार्वजनिक रास्ता संबंधित खातेदार की खातेदारी में ही रहेगा। परन्तु नक्शे में व जमांबदी में पृथक से खसरा नम्बर दिया जायेगा। व रास्ते के रकबे सहित किस्त गैर मुमकिन रास्ते दर्ज की जायेगी। जिसके लिए निम्नलिखित आदेश दिये जाते है:–	

क. सं.	दर्ज खातेदार का नाम	खसरा नम्बर	रकबा जो गैर मुमकिन रास्ते हेतु दर्ज होगा
1	भीयाराम वगैरा पि गुणेशराम वगैरा	385	1 बीघा 03 बिस्वा
2	गेगी उर्फ गोमती पुत्री कासबराम पत्नी खंगारराम (4 बीघा) सा देह देवाराम पुत्र	372	1 बीघा .01 बिस्वा

06/6/2018

...ायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी
लूणी (जोधपुर) राज.

Scanned by CamScanner

	खीयाराम , खंगारराम पुत्र खीयाराम सा देह		
3	जेगाराम देवाराम पि मीराराम	367 377 378 379	10 बिस्वा 06 बिस्वा 10 बिस्वान्शी 01 बिस्वा 05 बिस्वा 10 बिस्वान्शी
4	मंगीलाल, गोपाराम पुत्र रूपाराम वगैरा	376	07 बिस्वा
5	भभूतराम, देवाराम, घेवरराम, राजेश पि भानाराम सा देह	368	01 बीधा 05 बिस्वा
6	सुखाराम छोगाराम श्रीराम पि चिमनाराम सा देह	375	01 बीघा
7	मंगीलाल पुत्र मीराराम	375/3	3 बिस्वा
8	भीयाराम पुत्र काछुराम	375/1	19 बिस्वा
9	चुकी पत्नी जगराम	369	03 बिस्वा 10 बिस्वान्शी
10	ज्वरीलाल श्यामलाल पुत्र कानाराम	369/1	03 बिस्वा 10 बिस्वान्शी
11	लेलकी पत्नी सुरजाराम तेजाराम पुत्र सुरजाराम	369/2	03 बिस्वा 10 बिस्वान्शी
12	सुखी पत्नी जोराराम, मांगीलाल पुत्र खेराजराम समदु पुत्री खेराजराम	369/3	03 बिस्वा 10 बिस्वान्शी

तहसीलदार लूणी को आदेश दिये जाते है कि वे उपरोक्त वर्णितानुसार खातेदारों की भूमि के वर्तमान खसरे व रकबे से रास्ते के लिए उपयोग में आने वाले भूमि का रकबा कम करते हुए राजस्व रेकर्ड तैयार करें व रास्ते की भूमि को गैर मुमकिन रास्ते के रूप में (डॉटेड लाईन) के रूप में दर्ज करें । आदेश सुनाया गया। पत्रावली फैशल सुमार होकर दाखिल दफतर हो।

06/6/015

सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी
लूणी (जोधपुर) राज.

Scanned by CamScanner